अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–475/2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 27.05.2026**

1. देवेन शर्मा पुत्र स्व0 किशोरी शर्मा.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक की ओर से – श्री सरोज कुमार चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।
सूचक की ओर से – श्री परवेज आलम, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी (राज्य) की ओर से – श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

27.02.2026

1. आवेदक/अभियुक्त देवन शर्मा की तरफ से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत बहेड़ी थाना काण्ड संख्या 08/2026 अन्तर्गत धारा 316(2),318(4),3(5) बी0एन0एस0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. उक्त आवेदन पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. अभियोजन वाद संक्षेप में सूचक के अनुसार यह है कि उसने एक जमीन दो भाईयों के साथ मिलकर दिनांक 09.05.1983 को खरीद किया जिसको बांटकर अपने हिस्सा 11 धुर 05 कनमा पर मकान बनाया और कमाने दिल्ली चला गया और मकान किराया पर संजना ठाकुर को दिया जो सोना चांदी का दुकान चलाते है। उसे पैसा की जरूरत हुई तो वह संजना ठाकुर सेजमीन व मकान बेचने की बातचीत हुई तो संजना ठाकुर से कुल जरसेमन 14,40,000 रु0 तय हुआ और उसमें 6,06,530 रु0 बयाना लेकर मोहयदा दिनांक 26.05.2023 को बना दिया। देवन शर्मा जो कि भतिजा है ने उसे बहला फुसलाकर एवं पिलाकर उससे उसकी जमीन का रजिस्ट्री केवाला बिना जरसेमन दिये दिनांक 18.03.2025 को साथ में लेकर ललित राम, राम खेलावन सहनी, अब्दुल हफिज ने मिलकर साजिश के तहत ठग कर करा लिया। जब उसने जरसेमन की मांग किया तो नहीं दिया और पंचैती में दिनांक 29.06.2025 को वादा किया कि जमीन का जरसेमन 32,00,000 रु0 के दर से जो भी किमत नापी के बाद आएगा उसका दिनांक 06.07.2025 तक कर देगा, संबंध में एक पंचायती हुआ इसका कागज बना जो इस आवेदन के साथ संलग्न है। समय बीतने के बाद दिनांक 25.08.2025 को गया तो उसके साथ उपरोक्त सभी लोगों ने मारपीट किया व साथ में संगीता देवी ने मिलकर मारा और धमकी दिया कि रुपया मांग करोगे तो जान से मार देगे। दिनांक 29.06.2025 को सरपंच के समक्ष पंचायती हुआ देवन शर्मा ने साईन किया वो भी पेपर इस आवेदन के साथ संलग्न है। तब वह थक हारकर दिनांक 02.01.2026 को लिखित आवेदन थाना में दिया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और ना ही लंबित है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध एक कांड का आपराधिक इतिहास है जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस झूठा केस में फंसाया जा रहा है। आवेदक को व्यक्तिगत दुश्मनी एवं साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। यह मामला पूरी तरह से दीवानी विवाद है। आवेदक के द्वारा सूचक के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त स्थानीय है तथा न्यायालय के संतुष्टि के लिए उचित राशि का बंधपत्र देने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 27.05.2026**

जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना किया गया।

6. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं केस दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कांड धारा–316(2),318(4),3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 3 में वादी का पुनः ब्यान तथा कंडिका 9, 10 में गवाहों ने प्राथमिकी के घटना का समर्थन किया है। इस मामले में आवेदन/अभियुक्त एवं सूचक दोनों चाचा भतीजा है। सूचक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से करार को छोड़कर अपने भतीजा के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री की गई है। रजिस्ट्री कार्यालय में संव्यवहार की स्वतंत्र सहमति के बारे प्रश्न किया जाता है जहां सूचक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। विक्रय विलेख पर गवाहों का हस्ताक्षर है। विक्रय विलेख के प्रतिफल के स्वरूप निर्धारित 9 लाख 25 हजार रुपया में से अभियुक्त द्वारा (i) 4 लाख 50 हजार रुपया के संबंध में आवेदक द्वारा शपथपत्र देकर कहा गया है कि रजिस्ट्री से पूर्व दो किस्तो में उस राशि का उसके द्वारा भुगतान प्रतिफल के हिस्से के रूप में कर दिया गया है। (ii) पचास हजार रुपया का भुगतान ऑन लाईन पे फोन से किया गया है जिसका रसीद/दस्तावेज अभिलेख के साथ संलग्न है। (iii) अन्य कांड बहेड़ी थाना कांड सं0 515/2025 में आवेदक द्वारा दिये गये चेक अनादर के एवज में 3 लाख 90 हजार रुपया का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रतिफल की अपर्याप्ता का मामला पूर्णतः दिवानी प्रकृति का है। विक्रय विलेख के लगभग एक वर्ष बाद मुकदमा दायर किया गया है। सूचक द्वारा विक्रय विलेख के रद्दीकरण हेतु सिविल मुकदमा भी दायर किया गया है। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या आपराधिक न्यासभंग या कपट या बेईमानी करके संपत्ति लिये जाने संबंधी मामला प्रकट नहीं होता है। कंडिका 13 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध एक कांड आपराधिक इतिहास है जिसमें वह जमानत पर है। इस कांड में अनुसंधान अभी भी जारी है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस जमानत आवेदन का निष्कर्ष विचारण में लागू नहीं होगा।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को कतिपय शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है। अतः आवेदक/अभियुक्त **देवन शर्मा** को धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन निम्न न्यायालय में इस आदेश के प्राप्त होने के **30 दिनों** के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में **10,000/–(दस हजार) रूपये** की राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंध पत्र देने पर इस शर्त के साथ कि– एक जमानतदार उनके करीबी संबंधी होगा तथा आवेदक कांड के अनुसंधान में सहयोग करेगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	27-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	27-05-2026
Uploading Date	02-06-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)